

# सफ़र के महीने में शादी या खतना आदि न करना एक प्रकार का अपशकुन है

[ हिन्दी – Hindi – هندی ]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवाद: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2013 - 1435

IslamHouse.com

عدم التزوج أو الختان ونحو ذلك في شهر صفر نوع من التشاوؤم

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2013 - 1435

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम  
से आरम्भ करता हूँ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شَرِّ أَنفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلُ لَهُ، وَمَنْ  
يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَبَعْدَ:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और  
गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम  
उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते  
और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम  
अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से

अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

सफर के महीने में शादी या खतना आदि न करना एक प्रकार  
का अपशकुन है

फत्वा संख्या (10775)

प्रश्न : हमने सुना है कि ऐसी मान्यताएं पाई जाती हैं जिसका आशय यह है कि सफर के महीने में शादी, खतना और इसके समान अन्य चीज़ें करना जायज़ नहीं है। कृपया हमें इस बारे में इस्लामी कानून के अनुसार अवगत कराएं। अल्लाह आप की रक्षा करे।

उत्तर : सफर के महीने में शादी या खतना आदि के न करने का जो उल्लेख किया गया है वह इस महीने से अपशकुन लेने का एक प्रकार है। महीनों या दिनों या पक्षियों और इसी तरह के अन्य जानवरों से अपशकुन लेना जायज़ नहीं है; क्योंकि बुखारी व मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“प्राकृतिक रूप से कोई संक्रमण भावुक नहीं है, न कोई बुरा शकुन है, न उल्लू के बोलने का कोई प्रभाव है, और न ही सफर का महीना (मनहूस या अशुभ) है।”

सफर के महीने से अपशकुन लेना उस बदफ़ाली (अपशकुन) में से है जिससे मना किया गया है, तथा वह जाहिलियत के कामों में से है जिसे इस्लाम ने व्यर्थ (असत्य) घोषित किया है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक प्रदान करने वाला है, तथा  
अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और  
साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

### **इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति**

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़, शैख  
अब्दुर्रज्ज़ाक अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान,

**“फतावा स्थायी समिति” (1/658)**